फाइल नं0-71-1002/22/2022

135/2022/।/252263/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 23 दिसम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में जीवन रक्षक गैस पाइप लाइन एंव संयत्रों के सतत संचालन की आवश्यक अनुरक्षण सेवाओं हेतु जेम पोर्टल से बिड द्वारा चयनित सेवाप्रदाता के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/376, दिनांक 16.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज , प्रयागराज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में जीवन रक्षक गैस पाइप लाइन एवं संयंत्रों के सतत संचालन के आवश्यक अनुरक्षण सेवाओं हेतु निविदा में प्राप्त 21 कर्मियों सहित सी०एम०सी० की धनराशि रू 0 74,94,000.00 (जी०एस ० टी ० सहित) की दर से कुल लागत 02 वर्षों हेतु रू0 1,49,88,000.00 (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 16.11.2022 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में जीवन रक्षक गैस पाइप लाइन एवं संयंत्रों के सतत संचालन के आवश्यक अनुरक्षण सेवाओं हेतु निविदा में प्राप्त 21 कर्मियों सहित सी०एम०सी० की धनराशि रू0 74,94,000.00 (जी०एस०टी0 सहित) की दर से कुल लागत 02 वर्षों हेतु रू0 1,49,88,000.00 (जी०एस०टी० सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय) 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष आवश्यक धनराशि का वहन वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज से सम्बद्ध चिकित्सालयों के मानक मद-29-अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि से व्यय किया जाए।
3. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चि0शि0 का होगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्यो एवं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य कार्य एवं मदों पर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्यय-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।